संख्या- 83 /2251/बयालिस-2015-11(बजट)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2015**

विषय- जनपद इटावा स्थित सैफई में विशिष्ट क्रीड़ा संकुल परिसर के वाह्य विद्युतीकरण एवं विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 972/नि0 सैफई विद्युत स्टे0 पत्रा0/2015-16, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 2830/बयालिस-2013-11(बजट)/2013, दिनांक 04 दिसम्बर, 2013, एवं शासनादेश संख्या- 2318/बयालिस-2014-11(बजट)/2013, दिनांक 26.09.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा स्थित सैफई में विशिष्ट क्रीड़ा संकुल परिसर के वाह्य विद्युतीकरण एवं विद्युत सब स्टेशन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में व्यवस्थित धनराशि रू0 338.67 लाख (रू0 तीन करोड़ अडतिस लाख सरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 338.67 लाख (रू0 तीन करोड़ अडतिस लाख सरसठ हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखी जायेगी।

(4)- प्रश्नगत प्रायोजना विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश 2830/बयालिस-2013-11(बजट)/2013, दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या- 2318/बयालिस-2014-11(बजट)/2013, दिनांक 26.09.2014 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(5)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 03 खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय- 54- जनपद इटावा स्थित सैफई में विशिष्ट क्रीड़ा संकुल के वाह्य विद्युतीकरण एवं विद्युत सब स्टेशन भवन का निर्माण-24- वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 83/2251(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, इटावा।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
8- नियोजन अनुभाग- 4
9- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई (इटावा)।
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://chhattisgarhdesh.up.nic.in